



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269743  
CG-DL-E-01022026-269743

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423।

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 423।

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

## विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 451(अ).—जबकि मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय आरएमजेड इन्फिनिटी, पाँचवा तल, प्लॉट नं. 15, उद्योग विहार, फेस IV, गुरुग्राम - 122015, हरियाणा, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “कर्नाटक के गदग, कोप्पल और धारवाड जिले में मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 900 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/78/2025-PG दिनांकित 12.08.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “कर्नाटक के गदग, कोप्पल और धारवाड जिले में मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 900 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका (हिंदी) दिनांक 26.08.2025, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 26.08.2025, विजयवाणी (कन्नड) दिनांक 26.08.2025 और

भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 13.09.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 16.12.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के अधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “कर्नाटक के गदग, कोप्पल और धारवाड़ जिले में मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 900 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जनरेटिंग पूलिंग स्टेशन (गाँव मुलगुंद, तालुका एवं जिला - गदग, कर्नाटक में स्थित) - गदग ॥ पीएस (आईएसटीएस सब स्टेशन) 400 किलोवोल्ट एस/सी लाइन, डी/सी टावरों पर (अनुमानित लंबाई 42 कि.मी.)।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र. सं.	गाँव के नाम	तहसील	ज़िला	राज्य
1	हरटी, कणवी, होसूर, नीलगुंद, होलीगेरी हाल्ल, बेंटूर, अंतूर, कुर्तकोटी, चंडिकान हाल्ल, मुलगुंद, दावल मल्लिक गुड्हा, सीतलहरी, बसापुर, हरिपुर, शिरहट्टी, सोर्तुर, वेंकटापुर, येलिसिरुर, येलिसिरुर तांडा, शिरुंज, शिरोल, बेलदडी तांडा, बेलदडी, नागवी तांडा, नागवी, कलसापुर, मलासमुंद्र, असुंडी, बेलिकोप्पा, हुलकोटी, अद्यापकनगर, होसहल्ली, के एच पी कॉलोनी, जनता कॉलोनी, हिरे हंदीगोल, करोडी हाल्ल, मणि हाल्ल, आंबेडकरनगर, गदग, अमरेश्वरनगर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जी एच पाटिल कॉलोनी, श्री विश्वेश्वरनगर, नदेश्वरनगर, के एच बी हाउसिंग कॉलोनी, विंकादकट्टी, जवली हाल्ल, हिरे कोप्प, चिक्कोप्प, नागसमुद्र, नायकर कॉलोनी, नरसापुर, बेटिगेरी, कृष्णानगर आश्रय कॉलोनी, अडवी सोमपुर, अडवी सोमपुर तांडा, पापनाशी तांडा, कप्पत गुड्हा, नबापुर तांडा, काबुलयनकट्टी तांडा, गणेश नगर, एक्के हाल्ल, कनगिनहाल, तिम्मापुर, हरलापुर, तुप्पेजी हाल्ल, मारडी हाल्ल, मारडी गुड्हा, लक्कुडी, हतलगेरी, सांबापुर, जवलबेंची, सोमनकट्टी, पापनाशी, पापनाशी तांडा	गदग	गदग	कर्नाटक
2	अट्टीकट्टी, दोनी तांडा, दिंडुर तांडा, दिंडुर, अय्यनकरी हाल्ल, दोनी, नारायणपुर, डंबल, सिंगथरायणकरी तांडा, कदमपुरार, तुरचिहाल, जंतिल, सिरुर, तुर हाल्ल, हल्लीगुड्हा, तलवर्ती हाल्ल, हल्लीकेरे, वेंकटपुर, अलूर, रामेनहल्ली, गोवनकोप्प, हिरे हाल्ल	मुडागरी	गदग	कर्नाटक
3	शिरहट्टी, हरिपुर, खानापुर	शिरहट्टी	गदग	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निवंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- vi. मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/16/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

**MINISTRY OF POWER  
ORDER**

New Delhi, the 29th January, 2026

**S.O. 451 (E).**—Whereas M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL) the applicant with its registered Office at RMZ Infinity, 5th floor, Plot No 15, Udyog Vihar, Phase IV, Gurugram- 122015, Haryana, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India Private Limited for its 900 MW Wind Power Project in Gadag, Koppal & Dharwad district, Karnataka”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/78/2025-PG dated 12.08.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India Private Limited for its 900 MW Wind Power Project in Gadag, Koppal & Dharwad district, Karnataka”.

M/s Serentica Renewables India Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Rajasthan Patrika (Hindi) dated 26.08.2025, The New Indian Express (English) dated 26.08.2025, Vijayavani (Kannada) dated 26.08.2025 and in Weekly Gazette of India dated 13.09.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Serentica Renewables India Private Limited has submitted an affidavit dated 16.12.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication of public notice.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India Private Limited for its 900 MW Wind Power Project in Gadag, Koppal & Dharwad district, Karnataka”. The following overhead line is covered under this scheme:

- Generating Pooling Station of M/s Serentica Renewables India Pvt. Ltd. (located at village- Mulagundha, Taluka & Dist.- Gadag, Karnataka) - Gadag II PS (ISTS Sub-station) 400 kV S/c line on D/c towers. (Approx. length 42 km)

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Karnataka**:

Sl. No.	Name of the Village	Tehsil	District	State
1	Harti, Kanavi, Hosur, Nilgund, Holigeri Halla, Bentur, Antur, Kurtkoti, Chandikana Halla, Mulgund, Daval Mallik Gudda, Sitalahari, Basapura, Haripur, Shirhatti, Sortur, Venkatapur, Yelisirur, Yelisirur Tanda, Shirunj, Shirol, Beladadi Tanda, Beladadi, Nagavi Tanda, Nagavi, Kalasapura, Malasamundra, Asundi, Bellikoppa, Hulkoti, Adyapaknagar, Hosahalli, K H P Colony, Janatha Colony, Hire Handigola, Karodi Halla, Mani Halla, Ambedkarnagar, Gadag, Amareswarnagar, Industrial Estate, G H Patil Colony, Shri Visweswarnagar, Nandeswarnagar, K H B Housing Colony, Binkadakatti, Javali Halla, Hire Koppa, Chikkoppa, Nagasamudra, Naikar Colony, Narasapura, Betigeri, Krishnanagar Ashraya Colony, Adavi Somapura, Adavi Somapura Tanda, Papanashi Tanda, Kappat Gudda, Nabhapura Tanda, Kabulayankatti Tanda, Ganesh Nagar, Ekke Halla, Kanginhal, Timmapura, Harlapura, Tuppeji Halla, Maradi Halla, Maradi Gudda, Lakkundi, Hatalageri, Sambapura, Javalbenchi, Somankatti, Papanashi, Papanshi Tanda	Gadag	Gadag	Karnataka
2	Attikatti, Doni Tanda, Dindur Tanda, Dindur, Ayyanakari Halla, Doni, Narayanapura, Dambal, Singatarayanakeri Tanda, Kadampura, Turchihal, Jantil, Sirur, Tura Halla, Halligudi, Talavarti Halla, Hallikere, Venkatapura, Alur, Ramenahalli, Govankoppa, Hire Halla	Mundargi	Gadag	Karnataka
3	Shirahatti, Haripur, Khanapur	Shirahatti	Gadag	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Serentica Renewables India Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Serentica Renewables India Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F.No. 25-16/16/2026-POWER GRID(MoP)]  
M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)